NJESR/January2020/Volume-2/Issue-1 E-ISSN-2582-5836
DOI-10.53571/NJESR.2020.2.1.74-88

Dr. Seema Jain

Assistant professor of Sociology,Shri Jain PG College, Bikaner

(Received:20December2019/Revised:12January2020/Accepted:20January2020/Published:25January2020)

अविवाहित अवस्था के कारण

4.1 व्यक्तिगत कारण

4.2 आर्थिक कारण

4.3 पारिवारिक कारण

4.4 शारीरिक कारण

विवाह रूपी संस्था किसी – न – किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह ही परिवार एवंनातेदारी का आधार है हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है और हिन्दु सामाजिक संरचना में विवाह का एक विशेष स्थान है। यद्यपि विश्व के अन्य सभी समाजों में भी विवाह समााजिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए विवाह करना प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक दायित्व या कर्म माना गया है। अविवाहित व्यक्ति को विवाहित व्यक्ति के मुकाबले समाज में निम्न प्रस्थिति प्राप्त होती है। उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। सामाजिक समारोहों लोकगीतों, कहावतों में अविवाहित व्यक्ति की उपेक्षा व हंसी उड़ाई जाती है।

लेकिन भारत में आधुनिकीकरण व पाश्चात्य मूल्यों व आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विवाह व परिवार जैसी संस्थाओं के परम्परागत मूल्यों व मान्यताओं में बदलाव हो रहे है। स्त्री–पुरूषों में परम्परागत लैंगिक भेदभाव समाप्त हो रहा है। आज भारतीय नारी पुरूषों के बराबर जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारिता निभा रही है

Created by Universal Document Converter

और विवाह से संबंधित प्रचलित धारणाओं को चुनौती दे रही है सबसे महत्वपूण्र तथ्य यह है कि अब महिलाओं के लिए शादी करना सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है। अब अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, सफल कैरियर बनाना एवं अपने–आप को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। विवाह को द्वितीय प्राथमिकता प्राप्त हो गई है।

आउटलुक के आकांक्षा विवाह सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जनवरी 2007 के आधार पर 76 प्रतिशत महिलाएं शादी को जरूरी मानती है, लेकिन वे प्रति की हुकूमत सहना नहीं चाहती है। वे प्रति को दोस्त और यौन सम्बन्धों में सहयोगी के रूप में मानती है, रक्षक और पालक के रूप में नहीं। इस तरह 24 प्रतिशत कामाकजी महिलाएं आज विवाह को जरूरी नहीं मानती। 53 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं मानती है कि तलाक आर्थिक मुद्दों की वजह से होता है। ऐसे में अफसल विवाह करने से अच्छा विवाह न करना सही निर्णय होता है।

इस प्रकार वर्तमान भारत में कामकाजी महिलाओं में विलम्ब – विवाह या अविवाहित रहने की प्रवृति तथा तलाक के मुद्दे दिनांदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गैर कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा कामकाजी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और स्वावलम्बी तथ स्वतन्त्र विचारधारा वाली होती है। इसलिए अविवाहित महिलाओं की संख्या कामकाजी महिलाओं में अधिक पाई जाती है।

प्रस्तुत अध्ययन में इसी अवधारणा को आधार मानते हुए अविवाहित कामकाजी महिलाओं की अविवाहित स्थिति तथा उसके कारणों आदि का तथ्यगत विश्लेषण किया गया है।

अविवाहित अवस्था व उत्तरदाता :– प्रस्तुत अध्ययन की सभी उत्तरदाता अविवाहित है, लेकिन जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या आप विवाह करने की इच्छुक है? तो 37.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह करने की इच्छा जाहिर की। 51.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परिस्थिति के अनुसार विवाह करने की इच्छा जाहिर की। 11 प्रतिशत

Created by Universal Document Converter

उत्तदाता विवाह करने की इच्छुक नहीं थी। इस श्रेणी में अधिकतरवे उत्तरदाता है जो सेवानिवृति या अधिक आयु की है जिनका विवाह असम्भव है। इस तरह 89 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह करने की इच्छुक है लेकिन वे कई कारणों से अब तक अविवाहित है।

अविवाहित अवस्था के कारण :– परम्परागत रूप से अविवाहित अवस्था के कारण शारीरिक विकलांगता, कुरूपता तथा आर्थिक बदहाली रहे है। लेकिन आधुनिक भारत में अविवाहित अवस्था के अनेक स्वैच्छिक, सामाजि व आर्थिक कारण है। कृष्णा कुमारी ने भी अपने अध्यन में पाया कि ''पारिवारिक परिस्थितियां, वित्तिय बाधाएं और दिखावटी मान्यताओं के सम्मिश्रण के कारकों के कारण बहुत अधिक महिलाएं अकेली या एकाकी रहती है। बहुत कम लड़कियां अपनी पसंद से एकाकी रहती है।'' इसी तरह परवेज वकीली ने अपने अध्ययन में अविवाहित कारणों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया है। ये कारण इस प्रकार है :– जैसे – ''अच्छज्ञ नहीं दिखना, '' अधिक आजाद, अधिक महत्वाकांक्षी (मांग करने वाले) और जोड़ी नहीं मिलना। अत्रैयी चटर्जी ने अपने अध्ययन में विवाह की बाधाओं के विभिन्न कारण बताये है।

उनके अनुसार, ''दहेज विवाह की बाधाओं का कारण है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कई कारण भी दृष्टिगत होते है।''। प्रथमतः एक लड़की अपनी विवाह की उम्र के समय अपने शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ तीव्र गति से उन्नति करते हुए उच्च व मध्य आय समूह में प्रवेश करती है वह अलग से व्यक्तिगत पहचान चाहती है। व्यवस्था विवाह के बहुत से मामलों में प्रायः अनुरोध किया जाता है। दूसरी तरफ दो विपरीत लिंगीय जीवधारी के बीच में प्राकृतिक मिलन की धारण पूर्णतः प्रचलित नही पसन्द द्वारा विवाह सामान्यतः सम्भव नहीं है तब बहुत सी लड़कियां एक अन्जान परिवार से पूर्णतः एक अन्जान लड़के के साथ विवाह करने की बजाय एकाकीपन को स्वीकारती है

Created by Universal Document Converter

दैतियकः कामकाजी लड़कियां अर्थोपार्जन के स्त्रोत से कई मामलों में अपने माता–पिता को आर्थिक सुरक्षा देती है परिवार की सार– सम्भाव करते हुए वह स्वंय लम्बे सयम तक अपने विवाह को टालती रहती है। बाद में बढ़ती उम्र के कारण हमारे समाज में उनके विवाह में बाधाएं आती हे। जैसे–जैसे स्त्री पुरूषों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार हो रहा है, आध्यात्मिक सुखों की जगह भौतिक सुखों का महत्व बढ़ता जा रहा है, स्वतन्त्र व बंधनमुक्त जीवनशैली के मूल्यों का प्रचार–प्रसार बढ़ता जा रही है। कैरियर बनाने की अभिलाषा में विवाह से हजारों युवक–युवतियां मुंह मोड़ रहे है। कई युवतियां पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव, शारीरिक अयोग्यता व स्थाई बीमारी की वजह से अविवाहित रह जाती है। इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए उत्तरदाताओं से जब यह प्रश्न पूछा गया कि आपक अविवाहित रहने का क्या कारण है? तब इस प्रश्न के उत्तर में उत्तरदाताओं ने अलग–अलग कारण बताये। उन्हें हम निम्न सारणी द्वारा वर्गीकृत कर रहे हैं।

उपरोक्त चित्रानुसार स्पष्ट होता है कि 79 प्रतिशत उत्तरदाता व्यक्तिगत कारणों से अब तक अविवाहित है और 6 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक कारणों से अविवाहित है एवं 13 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक कारणों 2 प्रतिशत उत्तरदाता शारीरिक कारणों से अविवाहित है। इस तरह वर्तमान में अविवाहित के परम्परागत कारण बदल रहे है। आज अधिकतर उत्तरदाता अपने व्यक्तिगत कारणों से अविवाहित है। उत्तरदाताओं से इन कारणों के बारे में खुले प्रश्नों के आधार पर विस्तृत तथ्यगत सूचनाएं एकत्रित की गई, जिनके आधार पर अविवाह के कारणों को हम निम्न बिन्दुओं में वर्णित कर रहे है।

Created by Universal Document Converter

4.1 व्यक्तिगत कारण :–

अविवाहित रहने का वर्तमान में सबसे बड़ा व्यक्तिगत कारण है। भारत में जैसे–जैसे व्यक्तिवाद और भौतिकवाद मूल्यों का महत्व बढ़ता जा रहा है। सामुदायिक जीवन का अन्त हो रहा है और व्यक्तिगत या एकाकी जीवनयापन की प्रवृति निरन्तर बढ़ती जा रही है। प्रारम्भ में अविवाहित रहने की प्रवृति लड़कों में प्रारम्भ हुई, लेकिन वर्तमान में युवतियों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ अविवाहित रहने या विलम्ब से विवाह करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है। अध्ययन क्षेत्र की उत्तरदाताओं में 79 प्रतिशत उत्तरदाता व्यक्तिगत कारणों से अब तक अविवाहित है। जब उनसे व्यक्तिगत कारणों के बारे में पूछा गया तो उन्होनें निम्नडिप्लखित व्यक्तित कारण बताये, जो अग्र सारणी द्वारा स्पष्ट है:–

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत कारणों में 44.72 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह – योग्य उपयुक्त वन न मिलने की वजह से अब तक अविवाहित है। भारतीय समाज में जिस तीव्रता से महिलाओं में शिक्षा का स्तर उंचा उठ रहा है, उसी तीव्रता से महिलाओं वे युवतियों के विचारों में परिवर्तन आ रहा है। आज युवतियों व महिलाओं का अपने जीवनसाथी के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। युवतियां व महिलाएं अपने जीवनसाथी के चयन में स्वंय निर्णायक भूमिका निभा रही है।

वर्तमान समय में जीवनसाथी का चयन करते समय युवतियां ये अभिलाषा रखती है कि लड़का (वर) वधू के समान्तर या उच्च शिक्षा प्राप्त हो, सरकारी नौकरी अथवा स्वय का व्यापार हो, यानी आर्थिक रूप से सुदृढ हो, उसकी सामाजिक प्रस्थिति उच्च स्तर की हो, शारीरिक कद–काठी में भी चुस्त दुरूस्त हो, स्वास्थ्य हो? मिलनसार हो, सामजस्यपूर्ण व्यक्तित्व वाला हो। इस प्रकार से वधू के मन में अपने वर के प्रति कई प्रकार की

Created by Universal Document Converter

पूर्वधारणाएं होती हैं और जब पूर्वधारणाएं पूर्ण होती नजर नहीं आती, तो वधू का दृष्टिकोण जीवनसाथी के चयन के प्रति नकारात्मक हो जाता है। क्योंकि हर युवति व महिला चाती है कि उसका जीवनसाथी केवल रक्षक व पालक के रूप में ही न हो, बल्कि मित्र व यौन संबंधो में सहयोगी के रूप में होना चाहिए।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूची व अनौपचारिक साक्षात्कार द्वारा उत्तरदाताओं से पूछने पर 44.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकारा कि विवाह–योग्य उपयुक्त वर न मिलने के कारण उन्होनें विवाह नहीं किया। क्योंकि वर्तमान परिपेक्ष्य में जब युवतियां व महिलाएं कामकाजी क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो ऐसी परिस्थिति में वे अपने दृष्टिकोण से अयोग्य व्यक्ति को यहां अपना जीवनसाथी बना कर समझौता नहीं करना चाहती। क्योंकि कामकाजी महिलाएं मानती हैं कि विवाह जीवन का घुमाव बिन्दु है। इससे जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं और यदि विवाह बाध्यकारी हो तो जीवन समस्याओं का पुलिंदा बन जाता है। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब विवाह–योग्य उपयुक्त वर मिल जाए। इसके अलावा व्यक्तिगत कारणों में विवाह न करने का एक कारण विवाह के प्रति अलगाव को भी बताया। प्रस्तुत अध्ययन में 12.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं में कई कारणों से विवाह के प्रति अलगाव की स्थिति है। जब उत्तरदाताओं से अनौपचारिक साक्षात्कार लिया गया और विवाह के प्रति अलगाव के कारण पूछे गये तो कुछ उत्तरदाताओं ने माता–पिता के टूटते–बिखरते वैवाहिक जीवन को स्वयं के अविवाहित रहने का कारण बताया। उन्होंने बताया कि घर में रोजाना के झगड़े, आपसी मतभेद एवम् पिता द्वारा रोजाना शराब पीकर माता की पिटाई करना व पिता के दूसरी महिला के साथ संबंध व यौन संबंध को देखते हुए स्वयं के मन में भविष्य में वैवाहिक जीवन के प्रति असुरक्षा व अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। उत्तरदाताओं का कहना है कि –पिता के विवाह को 25–30 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी

Created by Universal Document Converter

अब तक उनकी सोच–समझ नहीं मिल पाई, तो ऐसे वैवाहिक जीवन की हमें आवश्यकता नहीं। कुछ उत्तरदाताओं अपने भाई–बहिन के बिखरते वैवाहिक जीवन को देख कर विवाह के प्रति अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार कुछ उतरदाताओं में, पुरुषों की महिलाओं के प्रति हिसंक प्रवृत्ति को देख कर एवं पत्र–पत्रिकाओं व अखबारों में प्रकाशित महिलाओं पर शारीरिक व मानसिक हिंसा व दहेज हत्याओं के प्रकरणों से विवाह के प्रति अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई।

व्यक्तिगत कारणों में सामने आया कि 39.66 प्रतिशत उत्तरदाता अपना कैरियर बनाने की महत्त्वाकांक्षा में अब तक अविवाहित हैं। उत्तरदाताओं ने बताया कि इस भौतिकवादी संस्कृ ति में महिलाओं को आर्थिक रुप से पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और इसी बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षा के तहत आज युवतियां व महिलाएं भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अपना कैरियर बना रही हैं, चाहे वो सरकारी कार्यक्षेत्र हो या फिर माता–

निजी दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उत्तरदाताओं ने बताया कि भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में, व्यापार–प्रबंधन में डिप्लोमा व कोर्सेज पूर्ण करके नौकरी लगने तक आयु व प्रस्थिति. दोनों ही बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने से निम्न प्रस्थिति के व्यक्ति को जीवनसाथी के रुप में स्वीकार नहीं कर सकती और जातीय समाज में विवाह–योग्य उपयुक्त वर न मिलना भी एक बड़ी समस्या है। कई परिवारों में अन्तरजातीय विवाह को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाता क्योंकि जातीय बंधन में हमारे भारतीय परिवारों को जकड़ रखा हैं। जिसकी वजह से हम अन्तरजातीय विवाह के बारे में सोचने से बचते रहते है। इस प्रकार कई उत्तरदाताओं ने बताया कि कैरियर बनाने की अभिलाषा में हम अब तक अविवाहित हैं। अनौपचारिक साक्षात्कार में यह बात उभर कर सामने आई कि

Created by Universal Document Converter

कैरियर बनाने की अभिलाषा जहां युवतियों व महिलाओं को आर्थिक रुप से सुदृढ़ बनाती हैं, वहीं अविवाहित अवस्था का कारण भी बन जाती हैं।

इस तरह इन उपरोक्त कारणों के अलावा एक ऐसा व्यक्तिगत कारण भी हैं जो बताने में उत्तरदाताओं को हिचकिचाहट हो रही थी। प्रस्तुत अध्ययन में 3.39 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसी भी हैं जिनके अविवाहित रहने का कारण प्यार में धोखा खाना है। उत्तरदाताओं से जब मित्रतापूर्ण तरीके से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि असफल प्रेम–प्रसंगो की वजह से विवाह करने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। उत्तरदाताओं ने बताया कि प्यार में धोखा मिलने की वजह से हमें पुरुष जाति से ही नफरत हो गई है। अन्य उत्तरदाताओं ने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ प्रेम–प्रसंग बनाये वो व्यक्ति मेरे साथ विवाह के लिये तैयार था। लेकिन कुछ समय पश्चात् पता चला कि वो पहले से ही विवाहित हैं, इस जानकारी को छुपाने के कारण मैने उससे अपने प्रेम–प्रसंग तोड़ दिये। इन परिस्थितियों के कारण उत्तरदाताओं ने विवाह करने की भावना को ही खत्म कर दिया। उनका कहना है कि भविष्य में भी हम विवाह नहीं करेंगी। क्योंकि अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हम आर्थिक रुप से तो आत्मनिर्भर हैं, केवल वैवाहिक सुख की कमी रहेगी। लेकिन हमें ऐसे वैवाहिक जीवन की आवश्यकता नहीं जिसमें धोखा व स्वार्थ हो।

4.2 आर्थिक कारण–

विवाह और परिवार की आर्थिक स्थिति के बीच गहरा सम्बन्ध रहा है। प्राचीन काल से ही वैवाहिक सम्बन्धों के निर्धारण में धर्म, जाति, सामाजिक प्रस्थिति के साथ–साथ परिवार की आर्थिक स्थिति या सम्पन्नता को देख कर वैवाहिक सम्बन्धों का निर्धारण होता रहा है तथा आधुनिक युग आर्थिक मूल्यों पर आधारित युग है। यहां सभी प्रकार के सम्बन्धों का आधार धन या आर्थिक हित हैं। वर्तमान में विवाह–सम्बन्धों के निर्धारण में आर्थिक तत्त्व

Created by Universal Document Converter

अहम भूमिका निभा रहे है। युवक और युवतियां, दोनों ही अपने से उच्च या समानान्तर आर्थिक स्थिति वाले जीवनसाथी को चाहते हैं। साथ ही दहेज की बढ़ती मांग ने भी वैवाहिक सम्बन्धों को प्रभावित किया है। वर्तमान में आर्थिक कारणों से अविवाहिताओं की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। यदि हम आम समाजों पर नजर डालें, तो भारत की ही, गौड़, ओमांचें जनजातीयों में क्रय–विवाह पाया जाता है। इसमें वधू–मूल्य प्रथा पाई जाती है। विवाह के इच्छुक लड़के को लड़की के पिता को निश्चित धनराशि देनी पड़ती है, तभी लड़के व लड़की की शादी होती है। लेकिन जो लड़का वधू–मूल्य देने में समर्थ नहीं होता है, वह सेवा– विवाह के माध्यम से जीवनसाथी प्राप्त करता है। इसके अन्तर्गत लड़के को अपने भावी सास–ससुर की सेवा या उनके खेतों पर मेहनत–मजदूरी करनी पड़ती है। सभ्य समाजों में दहेज और मेहर भी क्रय–विवाह का ही एक रुप है। लेकिन दहेज में लड़की वाले, लड़के को दहेज के रुप में धनराशि देते हैं। अध्ययन–क्षेत्र की उत्तरदाताओं से ज्ञात हुआ कि यहां आजादी से पहले से ही अट्टा–सट्टा विवाह, रीत–विवाह होता था, जिसमें आर्थिक लेनदारी के आधार पर वैवाहिक संबंध निर्धारित होते थे। लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष रुप से आर्थिक लेनदारी वैवाहिक संबंधों में मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि हमारे अध्ययन की उत्तरदाताओं में 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही आर्थिक कारण से अपने–आप को अब तक अविवाहित रखा है। जब हमने आर्थिक कारणों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया तो उत्तरदाताओं ने निम्न आर्थिक कारण बताये।

तालिका 4 : 2.1

आर्थिक कारणों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 72.23 प्रतिशत उत्तरदाता दहेज देने में असमर्थ होने की वजह से अब तक

Created by Universal Document Converter

अविवाहित हैं। वर्तमान समय में दहेज–प्रथा एक सामाजिक बुराई के रुप में उभर कर सामने आ रहा है। दहेज–प्रथा के कारण गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी पुत्री के लिये अच्छा रिश्ता ढूंढने में परेशानी आती है। क्योंकि वर पक्ष के लोग दहेज के रुप में अपने लड़के की पढ़ाई व व्यवसाय के संपूर्ण खर्च को प्राप्त करना चाहते हैं। हमने उत्तरदाताओं से अनौपचारिक साक्षात्कार द्वारा जब दहेज देने में असमर्थता के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वधू पक्ष से वर के माता–पिता कहते हैं कि हमने अपने लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाया है, व अन्य प्रकार के व्यावसायिक कोर्स, जैसे एम.बी.ए. व कम्प्यूटर साइंस में अनेक प्रकार के डिप्लोमा करवाने में लाखों रुपयों का खर्चा किया है। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे लड़के का रिश्ता जिस घराने में हो, वह हमारे लड़के की हर प्रकार से कमी–पूर्ति करे। इस प्रकार से उत्तरदाताओं का कहना था कि हमसे रिश्ता करने के साथ–साथ वर पक्ष लड़के की उपलब्धियों की कीमत के रुप में दहेज का लालच रखते हैं, और हमारा परिवार आर्थिक रुप से कमजोर होने के कारण इस प्रकार की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। इस वजह से हम अब तक अविवाहित हैं। इस प्रकार हमारे अध्ययन– न–क्षेत्र में दैनिक भास्कर 21 नवम्बर, 2007 को बीकानेर में गाजे–बाजे के साथ बरात पहुंची। दुल्हन को स्टेज पर ले जाते समय दूल्हे का बहनोई उसकी जगह बैठ गया, और 'नेग' लिये बिना उठने से मना कर दिया। इस डिमाण्ड से नाखुश हमारी उत्तरदाता ने दोनों पक्षों के बीच हुई कहा–सुनी व विवाद के कारण विवाह से इनकार कर दिया। उत्तरदाता ने बताया कि वर पक्ष की ओर से दहेज में 5,00,000/–रुपये नगद तथा प्रत्येक बराती के लिये आधा तोला सोने की मांग की गयी। यह मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हे व उसके परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया, ऐसे में दुल्हन (हमारी उत्तरदाता) ने पहल करते हुये बरात को वापस लौटा दिया। इस घटना से आहत उत्तरदाता ने बताया कि इस प्रकार से उत्पन्न विवाह– विरोधी

Created by Universal Document Converter

वातावरण से अब भविष्य में भी विवाह से नफरत हो गई है। भविष्य में भी विवाह नहीं करूंगी इसके अलावा 27.77 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी की वजह से अब तक अविवाहित हैं। क्योंकि परिवार में वे ही आय–अर्जन का एकमात्र स्रोत हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर विवाह के बारे में सोचा जाये तो हम विवाह के बारे में निर्णय लेने योग्य नहीं रहती। क्योंकि परिवार का पालन–पोषण केवल हमारी आय के द्वारा ही होता है, और अगर हम ही शादी करके ससुराल चली जायेंगी तो हम पर आश्रित हमारे परिजन असहाय हो जायेंगे। इसलिये हम भविष्य में भी विवाह नहीं करेंगी।

1.3 पारिवारिक कारण

विवाह परिवार रुपी संस्था में प्रवेश दिलाने वाली संस्था है। परिवार और विवाह के मध्य गहरा सम्बंध है। वास्तव में दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि विवाह से नये परिवार का निर्माण होता है जबकि परिवार से ही वैवाहिक संबंधों का निर्धारण होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति परिवार के सदस्यों के मध्य संबंध, उनकी सामाजिक प्रस्थिति, विवाह–संबंधों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। यदि परिवार का पर्यावरण सकारात्मक एवं सौम्य होता है तो वह वैवाहिक संबंधों के निर्धारण व उनकी निरन्तरता में सहायक होता है, लेकिन परिवार की नकारात्मक छवि वैवाहिक संबंधों के निर्धारण व दाम्पत्य जीवन की सफलता में बाधक सिद्ध होती है। वर्तमान में युवक–युवतियों में अविवाहित अवस्था का एक प्रमुख कारण परिवार की दोषपूर्ण दशा या पर्यावरण है। अध्ययन की 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि वे पारिवारिक दशा के कारण अब तक अविवाहित है।

Created by Universal Document Converter

तालिका 4:3.1

पारिवारिक कारणों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 46.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव के कारण अविवाहित रहना पड़ रहा है। कुछ उत्तरदाताओं से अनौपचारिक साक्षात्कार लिया गया तो उन्होंने बताया कि परिवार में पिताजी की मृत्यु हमारी शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही हो गई और भाई–बहिन हमसे छोटी उम्र के हैं। ऐसी अवस्था में छोटे भाई–बहिनों की पढ़ाई, पालन–पोषण व माता की देखरेख की जिम्मेदारी हम पर आ गई। ऐसी अवस्था में हमने तुरत–फुरत व्यावसायिक क्षेत्र में आने का निर्णय किया। और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारी उम्र विवाह योग्य नहीं रही। इस प्रकार 20.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि अविवाहित बड़े भाई–बहिनों की वजह से हमें भी अविवाहित रहना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े भाई–बहिनों के विवाह से पहले यदि छोटे भाई–बहिनों का विवाह हो जाये तो जातीय समाज के लोग बड़े भाई–बहिनों में किसी न किसी प्रकार की अयोग्यताओं की संभावना खोजने लगते है। जिसके चलते हम अब तक अविवाहित हैं। अन्य उत्तरदाता ने बताया कि हमारे परिवार में पंडित व कुण्डलियों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। पंडितजी ने हमारी माता को बड़ी बहन की कुण्डली देख कर कुंडली में दोष (मांगलिक) होना बताया। इस बात को गम्भीरता से लेते हुए माता–पिता कई वर्षों से (मांगलिक) लड़के की तालाश में हैं। वे चाहते हैं कि स्वयं की जाति में ही

मांगलिक लड़का, अच्छा घर, परिवार, तथा सभी गुणों से परिपूर्ण लड़का जब तक नहीं मिलता, तब तक दीदी (बड़ी बहन) की शादी नही करेंगे और जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं होती तब तक मेरी शादी होने की संभावना नहीं हैं। कुछ उत्तरदाताओं ने बताया कि परिवार मे बड़े भाई की बढ़ती असामाजिक गतिविधियां भी हमारी अविवाहित

Created by Universal Document Converter

अवस्था का कारण है। क्योंकि बड़े भाई को लाड़–प्यार अधिक मिलने की वजह से वह बिगड़ गया और आपराधिक गतिविधियों में पड़ गया, जिससे हमारे जातीय समाज में हमारे परिवार के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण नहीं रहा। जातीय समाज के लोग कहते हैं कि अगर ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनायेंगे तो उसका अपराधी भाई कभी भी हमारे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

इसके अलावा 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पारिवारिक कारणों से अविवाहित रहने में परिजनों की उपेक्षा को कारण बताया। इस विषय पर जब उनसे विस्तार से चर्चा की गई तो उत्तरदाताओं ने बताया कि हमारे परिजन ही हमारे सम्पूर्ण विकास व समस्त सामाजिक संस्कारों को पूर्ण करते हैं और जब वे ही परिजन हमारी उपेक्षा करने लग जाएं, तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता सिवाय एकाकी जीवन जीने के। उत्तरदाता ने बताया कि हमारी छोटी उम्र में ही माताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं माता–पिता की इकलौती संतान थी। पिताजी ने परिवार के कहने पर दूसरा विवाह कर लिया, दूसरे विवाह से पिताजी के दूसरे बच्चे भी हो गये। यानी सौतेले भाई–बहिन। बचपन में सौतेली माता द्वारा सदैव ही सौतेले व्यवहार का शिकार होना पड़ा। संघर्षपूर्ण तरीके से शिक्षा तो पूर्ण कर ली और नौकरी भी लग गई। फिर भी परिवार के सभी लोगों का ध्यान सौतेले भाई–बहिनों की तरफ अधिक रहता था। उन्होनें उन सौतेले छोटे भाई–बहिनों का विवाह तो धूमधाम से करवा दिया, लेकिन मेरी और उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। इस तरह अनेक प्रकार की उपेक्षाएं व घुटनभरी जिन्दगी को जीते–जीते जीवन में विवाह का पडाव पीछे ही रह गया।

इस तरह अनेक प्रकार के पारिवारिक कारणों की वजह से हमारी उत्तरदाता अविवाहित जीवन जीने के लिये मजबूर है, उत्तरदाताओं ने बताया कि पारिवारिक तनाव व जिम्मेदारियों के कारण अविवाहित जीवन जी रहे हैं।

Created by Universal Document Converter

4.4 शारीरिक कारण

वैवाहिक संबंधों के निर्धारण में शारीरिक गुणों की अहम भूमिका होती है। प्रत्येक युवती अपने जीवनसाथी को शारीरिक रुप से स्वस्थ, सुन्दर व्यक्तित्व वाला चाहती है। ऐसे में शारीरिक दोष वैवाहिक संबंधों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। शारीरिक दोष प्राचीन काल से अविवाहित अवस्था का मुख्य कारण रहा है और वर्तमान में भी यह महत्त्वपूर्ण कारण है। यद्यपि अध्ययन की 2 प्रतिशत उत्तरदाता ही शारीरिक कारणों से अपने आप को अविवाहित मानती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रुप से व्यक्तिगत कारणों से अविवाहित रहने वाली उत्तरदाता भी इस कारण से प्रभावित हैं, क्योंकि योग्य वर में शारीरिक गुणों को भी महत्त्व दिया जाता है।

तालिका 4:4.1

शारीरिक कारणों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत, आर्थिक व पारिवारिक कारणों के अलावा भी अविवाहित अवस्था का एक अन्य कारण शारीरिक कारण भी हैं। उत्तरदाताओं से जब इसके बारे में सूचना प्राप्त की गई तो 66.67 प्रतिशत उतरदाताशारीरिक अयोग्यता (बीमारी) विकलांगता के कारण अब तक अविवाहित हैं। अनौपचारिक साक्षात्कारद्वारा उत्तरदाताओं ने बताया कि शारीरिक विकलांगता अविवाहित अवस्था का बड़ा कारण है। उत्तरदाताओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन साथी की कल्पना में यह सोचता है कि मेरा जीवनसाथी स्वस्थ व हर काम में दक्ष हो। हर पुरुष चाहता है कि उसे ऐसी कन्या मिले जो परिवार में सबकी सेवा करे, भी की आवश्यकता–पूर्ति करे, सभी का खयाल रखे। लेकिन उनकी सोच के विपरीत विकलांग महिला को तो स्वयं दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। वह दूसरों को आश्रय देने में असमर्थ होती है। खराब स्वास्थ्य व

Created by Universal Document Converter

विकलांगता वैवाहिक जीवन को अनिश्चित बनाते हैं। 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी कुरुपता के कारण अब तक अविवाहित हैं। क्योंकि प्रत्येक पुरुष की कामना सुन्दर व सुशील कन्याप्राप्ति की होती है। इस तरह शारीरिक कमियां भी अविवाह का एक महत्त्वपूर्ण कारण है।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में हमारी उत्तरदाता व्यक्तिगत कारणों, आर्थिक कारणों, पारिवारिक कारणों, एवं शारीरिक कारणों की वजह से अविवाहित जीवन जीने को मजबूर हैं।

Created by Universal Document Converter